राजश्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
Rajshree LIVE LEARN LEAD
1000 बेड का अत्याधुनिक सर्व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
एस.आर.एन., नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त
• कार्डियोलॉजी (हृदय रोग विभाग) स्टेंट ऑपेन, वाल्व प्रोलप्स, एम्पाइमा, बी.पी. एम का उपचार होगा
• प्लास्टिक सर्जरी (जनरल सर्जरी विभाग) प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव
• न्यूरोलॉजी (विभाग, नस एवं रीढ़ रोग विभाग) गंभीर ट्रॉमाग्रस्त मरीजों का विश्वस्तरीय इलाज व ऑपरेशन
• गैस्ट्रोलॉजी (पेट, आँत एवं लीवर रोग विभाग) पेट, आँत एवं लीवर की समस्या का इलाज
• यूरोलॉजी (मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग) किडनी एवं पेशाब की समस्या का इलाज व ऑपरेशन
अत्याधुनिक केयरलेस आधुनिक उपकरणों से युक्त
उपलब्ध सुविधाएँ
एम.आर.आई., माइक्रोसर्जन ओ.टी., ई.सी.जी., एक्स-रे, सी.टी. स्कैन, कार्डियाक कैथ लैब, डॉक्सोलोजी, 4 डी अल्ट्रासाउण्ड/कलर डॉप्लर, पीजी (पीजीआईएम एवं एक्स), गैस्ट्रोस्कोपी, एन्डोस्कोपी, ई.सी.जी., पी.एफ.टी., पिलियोरोपी, बोनोस्कोपी, पैनोस्पार्क, डी.एम.टी., इनपेशेंटिटी क्लीनिक, डायलेसिस, यूरोलॉजी क्लीनिक, गैस्ट्रोइन्टेरोलॉजी क्लीनिक, पैथोलॉजी
प्राइवेट रूम, मॉड्यूलर ओ.टी., आई.सी.यू. की सुपर स्पेशलिटी सुविधा
एडवांस वेंटिलेटर, बाईपैप व एबीजी की सुविधा
24x7 घण्टे आपातकालीन सुविधा
ब्लड सेंटर, आई.सी.यू./एन.आई.सी.यू., एम्बुलेन्स
21 कि.मी., एन.एच. 24, फतेहगंज (प.), निकट टोल फाँजा, रामपुर रोड, बरेली (उ.प्र.)
हेल्पलाइन नम्बर: 7454800489, 7454800483

प्रसव के दौरान इलाज में लापरवाही से प्रसूता की मौत का आरोप

- बड़ागूं रोड स्थित निजी अस्पताल में नर्सों को महिला, अन्य समिति करेगी जांच
- कम हीमोग्लोबिन होने के बाद भी आपरेशन करने का आरोप, बाद में हो गई थी महिला की मौत

जासं, बरेली : बड़ागूं रोड स्थित निजी अस्पताल में महिला की प्रसव के दौरान इलाज में लापरवाही से मौत का आरोप लगा है। सुधाकरनगर निवासी महिला के पति ने सीएमओ से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सीएमओ ने समिति बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। सुधाकरनगर निवासी नितिन ससकेना ने सीएमओ को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी पत्नी पूजा ससकेना को 12 जून को प्रसव के लिए बड़ागूं रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि भर्ती के समय डाक्टरों ने उनका हीमोग्लोबिन 6.7 ग्राम बताया, जो सामान्य से काफी कम था। इसके बावजूद आपरेशन कर दिया गया। नितिन का आरोप है कि आपरेशन के बाद उनकी पत्नी की हालत बिगड़ती गई। अस्पताल से जवाब नहीं मिलने पर उन्हें दूसरे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां रक्त चढ़ाने के बाद अत्यधिक खतरनाक शुरू हो गया। वहां चिकित्सकों ने मल्टी आर्गन फेलियर की आशंका जताते हुए उन्हें चौपुला स्थित निजी अस्पताल रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरनिसर्ग की जरूरत नहीं। बाद में इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली भेजा गया। वहां छह दिन तक उपचार के बाद 18 जून को उनकी मृत्यु हो गई। आरोप है कि इलाज के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उनकी पत्नी की जान चली गई।

किशोरी ने पिया तेजाब, मौत

जासं, बरेली : सीबीगंज में परसाछेड़ गोटिया निवासी तेजाबल ने बताया कि, उनकी 16 वर्षीय बेटी शीतल का उसके भाई से विवाद हो गया था। गुस्से में उसने घर में रखा तेजाब पी लिया। हालत बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल लेकर गए। वहां डाक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ग्रमर शीतल ने पहले ही कम तेज़ दिया। सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप चतुर्वेदी का कहना है कि स्वजन ने तेजाब पीने की बात बताई है।

Raja Mahendra Pratap Singh University
(A State University)
Aligarh Pehwal Road, Aligarh-202140
Email : recruitment.rmpsu@gmail.com
Advt. No-01/RMPSU/2026 Date: 30/06/2026
Online Applications are invited on prescribed format to fill up posts of Assistant Professor in different Departments of the University. Date of start filling application form-01/07/2026. Last date for submission of application form-31/07/2026. Hard copy of duly filled Online application form printout should reach on or before 05 August 2026 by registered/speed post to the office of Registrar.
Note: For details, please visit the university website https://rmpsu.ac.in
Registrar

चढ़ावा चोरी की सीबीआइ जांच हो

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते शिव सैनिक • सौ. लखन

जासं, बरेली : श्री राम लला मंदिर, अयोध्या में हुए चढ़ावा चोरी प्रकरण का सीमांकर की विवसेन नाथ नगरी इकाई ने विरोध किया। प्रदर्शन करते हुए पीजी चौराहा से कलक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। प्रदेश प्रमुख ललित मोहन शर्मा के आह्वान पर प्रदेश सचिव राजीव कुमार पांडेय और मंडल प्रमुख संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में 200 करोड़ की चंदा चोरी प्रकरण की सीबीआइ जांच की मांग की गई। पदाधिकारियों ने कहा, आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मामले में केवल एफआइआर दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल उठ रहे हैं। जांच पूरी होने तक संबंधित ट्रस्टियों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया जाए ताकि जांच प्रभावित न हो। इस दौरान मंडल उप प्रमुख नवीन सक्सेना, भवानी सेना इकाई के कार्यकारी जिला प्रमुख अमरनी तिवारी, महानगर प्रमुख प्रभजोत कौर, पूजा राजपूत, मधु पाठक, गीता मिश्रा, विश्व प्रताप सिंह, आयुष वर्मा, विनोद आदि शिवसैनिक मौजूद रहे।

सपाइयों ने किया व्यापारियों का सम्मान

व्यापारियों का सम्मान करते सपा के पदाधिकारी • सौ. सपा

जासं, बरेली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अह्वान पर पार्टी कार्यालय पर सोमवार को भामाशाह जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। जिलाध्यक्ष शुभ्रदेश यादव और महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने व्यापारियों को सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भामाशाह भारतीय इतिहास के महान कमांडर थे। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि भामाशाह का जीवन त्याग, सेवा और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पूर्व मेयर सुप्रिया रेरन ने कहा कि किसी भी प्रदेश और देश की आर्थिक उन्नति में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यक्रम संयोजक प्रशेन गोयल ने कहा कि भामाशाह का जीवन समाज को यह संदेश देता है कि अपनी समृद्धि का उपयोग समाज और राष्ट्रहित में करना ही सच्ची सेवा है। व्यापार सभा महानगर अध्यक्ष नीरज गुप्त ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन महासचिव पंकित दीपक शर्मा ने किया। कार्यक्रम में पंकज सक्सेना, सुरेंद्र पटेल, जावेद खान, अरुण भसीन, विजय कुमार अग्रवाल, आदर्श जायसवाल, राजन गुप्ता, आलोक अग्रवाल को सम्मानित किया। संजीव सक्सेना, निनिता यादव, रविंद्र यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव, गौरव सक्सेना, सुरेंद्र सोनकर समेत आदि मौजूद रहे।

बरेली कालेज में साइबर कैफे पर चला बुलडोजर

जासं, बरेली : बरेली कालेज परिसर में लंबे समय से संचालित साइबर कैफे को रविवार देर शाम बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया। इसमें पूर्व पंजन को खाली करने के लिए शनिवार को प्रायर्ग ने नोटिस जारी किया था। हाल ही में कालेज में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान संबंधित एजेंसी की लापरवाही के कारण गलत मेरिट लिस्ट जारी हो गई थी। इस मामले में कालेज प्रशासन ने छात्रों को फोन या संदेश के जरिए शुल्क जमा करने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी थी। आरोप है कि इसी दौरान साइबर कैफे संचालक ने मौका देखकर छात्रों को फोन कर बुलाया और उनसे अवैध रूप से अनतिहास फॉर्म जमा कराया दी। प्रायार्ग ने कुलप को गंभीर अनियमितता और कालेज की छवि को धूमिल करने वाला बताया। विधिक कार्रवाई की चेतावनी के बाद रविवार को कैफे खाली कर दिया गया था। बताया जाता है कि साइबर कैफे वर्ष 2012 में किसी छात्रनेता की ओर से शुरू कराया गया था। कर्मचारी कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कैफे संचालक से स्थान खाली करा लिया था। रिक्त भवन का इस्तेमाल पुछताछ केंद्र के रूप में किया जा सकता था।

दर्द की आज दवा
टेक्नोफार्म की
अजूबी
टेबलेट, बाम रोल ऑन
सिर, बदन, दांत दर्द
सर्दी जुकाम
जे दे राहत
AJUBI BALM
AJUBI TABLET
TATA 1mg amazon
8660184151

रहे है बन्धन तो जो हमारे
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank
(A Government Of India Undertaking)
Where service is a way of life
ई–नीलामी बिक्री सूचना
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली
97/2, तुलाशेरपुर पीलीभीत बाईपास रोड बरेली, उ.प्र.–243122
दूरभाष : 0581–2510513 ई–मेल : ro.bareilly@psb.bank.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना । ["परिशिष्ट IV-A"]

ई–नीलामी तिथि व समय : 30.07.2027 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01 बजे तक

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 29.07.2026 शाम 5:00 बजे तक | संपत्ति निरीक्षण तिथि व समय : 29.07.2026 प्रातः 10:00 बजे से 04 बजे तक

सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और जमानतकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है, जिसका सांकेतिक कब्जा पंजाब एंड सिंध बैंक, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। उक्त संपत्ति की बिक्री से बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 30.07.2026 को "जैसा है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।
बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर प्रदान किए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं	शाखा/ऋणी/बन्धककर्ता/जमानतकर्ता का नाम व पता	सम्पत्ति एवं स्वामी का विवरण	मांग सूचना तिथि / मांग पत्र 13(2) में अंकित राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / वृद्धि राशि
1.	शाखा : सिविल लाइन्स, बरेली (80253)	संपत्ति संख्या–1 : व्यवसायिक संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 48.40 वर्ग गीटर है जो श्री जितेन्द्र पुत्र जीतू, श्री अमित एवं श्री राहुल पुत्र श्री फकीर चन्द के नाम के नाम पर नोहल्ला बिहारीपुर, सिविल लाइन्स, पीपला रोड, मन्दिर के सामने, बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विक्रय विलेख, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–485, पृष्ठ संख्या–337 से 346, क्रम संख्या–4270, दिनांक 17.06.2005 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : उत्तर : रामेश्वरम एवं बालिका आदि का मकान, दक्षिण : संजय आदि का मकान, पूरब : राजकुमार का मकान, पश्चिम : 12 फीट चौड़ा रास्ता।	01-01-2024 ₹0 4,37,826.00 (रुपये चार लाख सैंतीस हजार छह सौ पच्चीस रुपये मात्र) दिनांक 30.04.2026 तक, तथा इसके अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, एवं लागत व अन्य व्यय, यदि कोई हो।	Property 1 Rs. 27,80,000 Rs. 2,78,000 Rs. 28,000 Property 2 Rs. 1,80,000 Rs. 18,000 Rs. 18,000
		संपत्ति संख्या–2 : आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 18.20 वर्ग गीटर है जो श्री फकीर चन्द के नाम नोहल्ला बिहारीपुर, सिविल लाइन्स, पीपला ऑफिस हॉस्पिटल के निकट, बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विक्रय विलेख, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–1486, पृष्ठ संख्या–323 से 336, क्रम संख्या–2901, दिनांक 22.04.2006 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : उत्तर : अशोक सिंह का मकान, दक्षिण : रामगोपाल निमा का मकान, पूरब : 3 फीट चौड़ी रास्ता गली, पश्चिम : पी.जी.आई.सी. विद्यालय।		
2.	शाखा : पूरनपुर	आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 46.841 वर्ग मीटर है जो श्री जावेद खान पुत्र श्री सलामतुल्ला के नाम पर नोहल्ला बनगुरुवी, वार्ड संख्या–4, पूरनपुर, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बही संख्या–1, जिल्द संख्या–4482, पृष्ठ संख्या–337 से 354, क्रम संख्या–6424, दिनांक 18.06.2016 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, पूरनपुर, जनपद पीलीभीत में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : उत्तर : अखलाक खान आदि का मकान, दक्षिण : सलामतुल्ला खान का मकान, पूरब : सलामतुल्ला खान का मकान, पश्चिम : 12 फीट 6 इंच चौड़ी सड़क।	21.05.2024 ₹0 26,85,636.15 (रुपये छब्बीस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस रुपये और अठारह पैसे मात्र) दिनांक 21.06.2024 तक भुगतान, तथा इसके अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य व्यय, यदि कोई हो।	Rs. 1,68,17,000 Rs. 16,81,700 Rs. 17000
3.	शाखा : पूरनपुर	सुरक्षित सम्पत्ति : अचल सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति प्लॉट संख्या–1258 तथा क्षेत्रफल 0.0070 हेक्टेयर है जो ग्राम शेरपुर कलाँ, परगना एवं तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिल्द संख्या–2587, पृष्ठ संख्या–359 से 406, क्रम संख्या–4202, दिनांक 17.06.2010 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, पूरनपुर में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : पूरब : चक रोड, पश्चिम : उर्दू खान का खेत, उत्तर : शेरपुर रोड लिंक मार्ग, दक्षिण : चक रोड।	08.08.2025 ₹0 28,84,023.34 (रुपये पच्चीस लाख चौरासी हजार तेईस रुपये और चौंतीस पैसे मात्र) दिनांक 28.07.2025 से आगे का ब्याज तथा लागत व अन्य व्यय सहित।	Rs. 96,74,000 Rs. 9,67,400 Rs. 97,000
4.	शाखा : पूरनपुर	सम्पत्ति के उत्तरी भाग एवं भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 46.841 वर्ग गीटर है जो श्री जावेद खान पुत्र श्री सलामतुल्ला खान के नाम नोहल्ला बनगुरुवी, वार्ड संख्या–4, पूरनपुर, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बही संख्या–1, जिल्द संख्या–4482, पृष्ठ संख्या–337 से 354, क्रम संख्या–6424, दिनांक 18.06.2016 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, पूरनपुर, जनपद पीलीभीत में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : पूरब : सलामतुल्ला खान का मकान, पश्चिम : 12 फीट 6 इंच चौड़ी सड़क, उत्तर : अखलाक खान एवं अन्य का मकान, दक्षिण : सलामतुल्ला खान का मकान।	08-01-2025 ₹0 7,60,442.15 (रुपये सात लाख साठ हजार चार सौ बयालीस रुपये और पन्द्रह पैसे मात्र) दिनांक 17.11.2024 तक, तथा दिनांक 17.11.2024 से आगे का ब्याज एवं बैंक द्वारा खर्च किए गए आकस्मिक व्यय सहित।	Rs. 20,09,000 Rs. 2,00,900 Rs. 20,000
5.	शाखा : शाहजहाँपुर (बंडेड़ी)	संपत्ति के उत्तरी भाग एवं भूखण्ड जो ग्राम शाहगढ़, जी.टू. नदेली रोड, बंडेड़ी, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश–243201 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 201.137 वर्ग गीटर है। उक्त संपत्ति का एक भाग गाटा संख्या–441 नि. एवं 442 नि., क्षेत्रफल 171.84 वर्ग गीटर, श्रीमती कविशना पत्नी श्री गोविन्द राम के नाम पत्रावली संख्या–2598, दिनांक 20.05.2020 द्वारा तथा शेष भाग गाटा संख्या–441 नि. एवं 442 नि., क्षेत्रफल 29.297 वर्ग गीटर, श्रीमती कविशना पत्नी श्री गोविन्द राम पुत्र श्री मंगल सेन के संयुक्त नाम प्रतिलेख संख्या–568, दिनांक 15.01.2021 द्वारा पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : पूरब : गोपाल दास एवं चन्द्र पाल का मकान, पश्चिम : रास्ता फिर का प्लॉट, उत्तर : नदेली रोड, दक्षिण : 8 फीट चौड़ी रोलिंग सड़क।	08.06.2026 ₹0 34,47,870.76 (रुपये चौंतीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ सत्तर रुपये और छिहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक, तथा इसके अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित।	Rs. 62,52,000 Rs. 6,26,200 Rs. 63000
6.	शाखा : शाहजहाँपुर (50573)	संपत्ति संख्या–1: आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 83.49 वर्ग गीटर है जो नोहल्ला बड़ागुरुपुर, तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विक्रय विलेख संख्या–238, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–651, पृष्ठ संख्या–636 से 642, दिनांक 14.02.1977 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, सदर, शाहजहाँपुर में पंजीकृत है। संपत्ति संख्या–2 : एक दुकान जिसका क्षेत्रफल 12.00 वर्ग गीटर है जो नोहल्ला बड़ागुरुपुर, तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विक्रय विलेख संख्या–5122, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–1234, पृष्ठ संख्या–259 से 280, दिनांक 08.01.1987 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, सदर, शाहजहाँपुर में पंजीकृत है। संपत्ति संख्या–3 : एक गोदाम जिसका क्षेत्रफल 27.47 वर्ग गीटर है जो नोहल्ला बड़ागुरुपुर, तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विक्रय विलेख संख्या–4681, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–9401, पृष्ठ संख्या–237 से 272, दिनांक 08.04.2016 को उप–पंजीकृत कार्यालय, सदर, शाहजहाँपुर में पंजीकृत है। संपत्ति संख्या–4 : दो मंजिला व्यावसायिक एवं आवासीय भवन (होल) जिसका क्षेत्रफल 126.38 वर्ग गीटर है जो नोहल्ला बड़ागुरुपुर, तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विक्रय विलेख संख्या–173, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–6806, पृष्ठ संख्या–325 से 364, दिनांक 07.10.2011 को उप–रजिस्ट्रार कार्यालय, सदर, शाहजहाँपुर में पंजीकृत है।	29-10-2025 ₹0 1,08,45,464.35 (रुपये एक करोड़ आठ लाख पैंतालीस हजार चार सौ पैंसठ रुपये और उन्तीस पैसे मात्र) दिनांक 30.04.2026 तक, तथा उस पर लागत, शुल्क एवं अन्य व्यय सहित।	सम्पत्ति पंड 1 Rs. 24,14,000 Rs. 2,41,400 Rs. 24,000 सम्पत्ति पंड 2 Rs. 15,96,000 Rs. 1,59,600 Rs. 16,000 सम्पत्ति पंड 3 Rs. 13,65,000 Rs. 1,36,500 Rs. 14,000 सम्पत्ति पंड 4 Rs. 61,20,000 Rs. 6,12,000 Rs. 61,000 सम्पत्ति पंड 5 Rs. 46,69,000 Rs. 4,66,900 Rs. 47,000
7.	शाखा : महुआ मुंडे	सुरक्षित सम्पत्ति : व्यावसायिक संपत्ति (दुकान) के सात्मिक बन्धक गाटा संख्या–111/1, जिसका क्षेत्रफल 8800 वर्ग गीटर है जो श्री राजा मान्धेन पुत्र श्री सुमन चन्द्र मान्धेन के नाम पर ग्राम कलिखा बुजैया, तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में स्थित है, विक्रय विलेख संख्या–2964/2004, बही संख्या–1, जिल्द संख्या–1182, पृष्ठ संख्या–369 से 408, दिनांक 14.09.2004 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, पूरनपुर में पंजीकृत है। चौहद्दी निम्नवत् है : उत्तर : चक रोड, पश्चिम : राम प्रसाद आदि की भूमि, पूरब : मयखान रसखन आदि की भूमि, दक्षिण : जगुराम आदि की भूमि।	22-02-2024 ₹0 1,18,83,242.09 (रुपये एक करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार दो सौ बयालीस रुपये और नौ पैसे मात्र) दिनांक 30.04.2026 तक, तथा इसके अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, एवं लागत व अन्य व्यय, यदि कोई हो।	Rs. 3,74,90000 Rs. 37,40,000 Rs. 3,74,000

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर : साधु त्रिपाठी (बरेली, बंडेड़ी, शाहजहाँपुर शाखा) एवं संपर्क नंबर 8263817927, पुनीत कुमार (पीलीभीत शाखा) मो. 7055005552

ईएमडी को नीलामी हाउस ई–नीलामी पोर्टल https://ebkray.in@BYNEFT/RTGS/CHALLAN पर उपलब्ध कराए गए अपने बोर्डर में समाप्तिति किया जाना है। उस खाते का विवरण जिसमें ईएमडी के बाद शेष राशि बारटीपीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है : खाते का नाम– एनईएफटी पार्किंग खाता; खाता नंबर– 8017604070008; आईएफएस कोड– PSIB0008017, बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://punjabandsindbank.co.in/module/earfaesi-list और https://baanknet.com/ देखें। नोट : इस नोटिस को नियम 8(6) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के तहत उधारकर्ताओं और गारंटरों (एस/ए) को 15/30 दिनों की वैधानिक बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जाना चाहिए।

दिनांक : 29.06.2026 स्थान: बरेली, पीलीभीत, पूरनपुर, बंडेड़ी, शाहजहाँपुर प्राधिकृत अधिकारी पंजाब एण्ड सिंध बैंक